HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 359/2026

1. Ramjan Urf Pappi Son Of Shri Shareef Kha, Resident Of Sadhuka, Police Station Kishangarhbas, Distt. Khairthail, Tijara Rajasthan. (At Present Confined At Distt. Jail Alwar)
2. Aabid Son Of Shri Shareef Kha, Resident Of Sadhuka, Police Station Kishangarhbas, Distt. Khairthail Tijara Rajasthan. (At Present Confined At Distt. Jail Alwar)
3. Islam S/o Kasam Kha, Aged About 99 Years, R/o Bevdi Ka Bas, Tan Baghoda, Police Station Kishangarhbas Distt. Khairthail, Tijara Rajasthan. (At Present Confined At Distt. Jail Alwar)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Hanish Khan
For Respondent(s) : Mr. Sudesh Saini, PP
Mr. Sumer Singh Ola for complainant

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

The date of conclusion of arguments;	23-02-2026
The date on which the judgment was reserved;	23-02-2026
Whether the full judgment or only the operative part was pronounced;	No
The date of pronouncement.	25-02-2026

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना–खैरथल जिला–खैरथल तिजारा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **369/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 117(3), 109(2), 3(5),बी.एन.एस. में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में कई व्यक्तियों द्वारा घटना कारित किया जाना बताया गया है, परन्तु अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र केवल प्रार्थीगण के विरूद्ध ही प्रस्तुत किया गया है तथा अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध बनना नहीं पाया गया है। उनका यह भी तर्क है कि मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन विलम्ब से दर्ज करवाई गई है। उनका तर्क है कि आहत ताहिर उर्फ सुल्ली के शरीर पर जो चोटें कारित होना बताया गया है, उनमें से चार अस्थिभंग की गंभीर चोटें हैं, जो हाथों पर कारित चोटें है। आहत के शरीर के मार्मिक भाग पर कोई चोट कारित नहीं हुई है। सम्पूर्ण मामला बनावटी है। उनका तर्क है कि आहत एक आदतन अपराधी है। प्रार्थीगण दिनांक 11.12.2025 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उन्हें जमानत पर मुक्त किया जाये।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने तर्क प्रस्तुत किया कि तीनों प्रार्थी–अभियुक्तगण के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना कारित करने वालों में अंकित है। आहत के धारा 180 बी.एन.एस.एस. के कथनों से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी–अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट कर चोटें कारित की गई है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्तगण शातिर अपराधी हैं और उन्होंने जान–बूझकर आहत के हाथों व पैरों पर निरन्तर चोटें कारित की हैं। उनका तर्क है कि आहत के शरीर पर कुल सात चोटें कारित हुई हैं, जिनमें से चार चोटें अस्थिभंग की गंभीर चोटें हैं और इन चोटों के कारण आहत का एक हाथ अभी भी कार्य नहीं कर पा रहा है। उनका तर्क है कि चिकित्सक की राय के अनुसार आहत के शरीर पर जो चार गंभीर चोटें कारित हुई हैं, वे संचयी रूप में (cumulatively) जीवन के लिए खतरनाक (dangerous to life) है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त इस्लाम के विरूद्ध पूर्व के दो प्रकरण व प्रार्थी–अभियुक्त रमजान के विरूद्ध पूर्व का एक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। प्रार्थी–अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्तगण पर यह अभियोग है कि उन्होंने आहत ताहिर उर्फ

सुल्ली के साथ मारपीट कर उसे चोटें कारित की। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना कारित करते वालों में प्रार्थी–अभियुक्तगण तथा अन्य कई व्यक्तियों के नाम अंकित किये गये थे, परन्तु आरोपपत्र केवल प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध ही प्रस्तुत किया गया है। चोट प्रतिवेदन और एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार घटना में आहत को दाहिनी ऊपरी बांह की हड्डी में सूक्ष्मरेखी अस्थिभंग (hairline fracture of right humerus) कोहनी के पास की हड्डी के समीपस्थ भाग पर अस्थिभंग (compound fracture of right ulna proximal) बांये हाथ की ऊपरी हड्डी के बीच में अस्थिभंग (compound fracture of left humerus midshaft) व बांये हाथ की रेडियस व अल्ना अस्थि में भंग (fracture of left redius and ulna bone) की चोटें कारित हुई हैं। इस प्रकार से आहत को चार अस्थियों का भंग हुआ है, जिनमें से एक केवल सूक्ष्मरेखी अस्थिभंग (hairline fracture) है और तीन हाथ की अस्थियों में भंग है। उक्त चारों चोटों में से कोई भी चोट शरीर के मार्मिक भाग पर कारित नहीं हुई है, बल्कि हाथों पर कारित हुई है। प्रार्थी–अभियुक्तगण दिनांक 11.12.2025 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी–अभियुक्त इस्लाम व रमजान के विरूद्ध पूर्व के क्रमशः दो व एक आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं तथा अभियुक्त आबिद के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रकरण में आहत ताहिर उर्फ सुल्ली के हाथों की अस्थियां भंग होने मात्र को चिकित्सक द्वारा प्राणघातक होना अंकित किया गया है, जो कि असामान्य राय प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में उक्त चोटों के संबंध में दी गई राय का मेडिकल बोर्ड द्वारा

परीक्षण करवाकर इस पर मेडिकल बोर्ड की राय लेना उचित है। अतः अधीक्षक/सक्षम अधिकारी, जिला अस्पताल, अलवर को निर्देशित किया जाता है कि वह मेडिकल बोर्ड का अविलम्ब गठन करें और आहत ताहिर के शरीर पर आई चोटों के संबंध में अपनी राय विद्वान लोक अभियोजक के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /29